संख्या- 17/2018/108/71-2-18-पी-19/2015

प्रेषक,

जयन्त नार्लिकर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 02 फरवरी, 2018**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में संस्थान परिसर के वार्ड ब्लाक में मरीजों को पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु सेन्ट्रल आर0ओ0 प्लांट की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-97/07/2017, दिनांक 04-1-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ परिसर के वार्ड ब्लाक में मरीजों को पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु सेन्ट्रल आर0ओ0 प्लांट की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-110/2015/1677/71-2-15-पी-19/2015, दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 द्वारा रू0 112.54 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 58.62 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ परिसर के वार्ड ब्लाक में मरीजों को पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु सेन्ट्रल आर0ओ0 प्लांट की स्थापना हेतु रू0 53,92,000/- (रूपया तिरपन लाख बानवे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान के निदेशक की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) संस्थान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद में किया जायेगा। संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
4) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानो को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तदायित्व संस्थान/कार्यदायी संस्था का होगा।
5) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा। ई परियोजना पोर्टल पर परियोजना का माइलस्टोन्स एवं कार्यो के फोटोग्राफस अपलोड किया जाना सुनिश्चत किया जायेगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जयन्त नार्लिकर)
विशेष सचिव।

संख्या- 17/2018/108(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3) कोषाधिकारी, लखनऊ ।
4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5) वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
6) महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8) नोडल अधिकारी, ई परियोजना चिकित्सा शिक्षा विभाग।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।